बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश संख्या–050स्था0 आरोप–15 / 2013..... .दिनांक–

आदेश

श्री गिरीश कुमार, मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा के विरूद्व जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–827 दिनांक–02.05.2013 तथा जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक– 1222 दिनांक–- 03.05.2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश संख्या–2051 दिनांक– 30.05.2013 द्वारा श्री कुमार को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।

2. पुलिस अधीक्षक, (निगरानी अनवेषण व्यूरो) निगरानी विभाग बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक 1118 दिनांक–31.05.2013 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या– 025 / 2013, दिनांक– 24.05. 2013, धारा 13 (2)–सह–पठित धारा 13 (1) (ई) भ्र0 नि0 अधि0 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त, श्री गिरीश कुमार, मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा के विरूद्ध सभी श्रोतों से प्राप्त आय 65,91,862.00 (पैसठ लाख एकानवे हजार आठ सो बासठ रूपए) के विरूद्व 3,44,22,539.00 (तीन करोड़ चौवालिस लाख बाईस हजार पांच सौ उन्नचालिस रूपये) प्रत्यानुपातिक धनार्जन का प्रमाण पाया गया।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2324 दिनांक– 10.07. 2007 में निहित प्रावधानों के तहत माननीय न्यायालय में चल रहे अपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा, जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण व्यूरो से प्राप्त पत्र के आलोक में प्रपत्र ''क'' में आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियोजन एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में एवं कार्मिक एवं प्रशाससनिक सुधार विभाग के निहित प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश संख्या–2339 दिनांक– 14.06.2013 द्वारा श्री गिरीश कुमार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अपर परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं अवर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. अपर परिवहन आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक–11.09.2013 में विभाग द्वारा गठित आरोप प्रपत्र ''क'' में वर्णित सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) में निहित प्रावधानों के तहत् जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न कर विभागीय पत्रांक 5230 दिनांक 18.10.2013 द्वारा श्री गिरीश कुमार से कारण पृच्छा की माँग की गई।

10. उपरोक्त तथ्यों, संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में श्री गिरीश कुमार के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के वृहत् शास्तियाँ (x) के अंतर्गत श्री गिरीश कुमार को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(i) सरकारी सेवा से बर्खास्तगी।

(ii) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी अनुमान्य नहीं होगा।

11. उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

12. उपरोक्त आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक पटना/दिनांकः

प्रतिलिपि : श्री गिरीश कुमार, मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा संप्रति निलम्बित, राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना, पत्राचार का पता : फ्लैट नं0–202, बासुदेव बिहार अपार्टमेन्ट, नागेश्वर कॉलनी, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

1987 31/03/2014

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश को अविलंब परिवहन विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।

Rajbal 31/3/14
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।